भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *209

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/ 24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

आध्र प्रदेश में बीमा और वित्त संबंधी जागरूकता

*209. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अथवा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश में कोई बीमा संबंधी जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विजयनगरम, कुरनूल और कडप्पा के ग्रामीण और आकांक्षी जिलों में ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(ग) जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रति ग्रामीण आबादी की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कम आय वाले परिवारों के लिए बीमा उत्पादों को सरल और वहनीय बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"आध्र प्रदेश में बीमा और वित्त संबंधी जागरूकता" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा पूछे गए 15 दिसंबर, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *209 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, मई 2025 में साधारण बीमा परिषद द्वारा "अच्छा किया बीमा लिया" टैगलाइन के साथ एक अखिल भारतीय बीमा जागरूकता और शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। मल्टी-प्लेटफॉर्म बीमा जागरूकता अभियान को टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटडोर मीडिया के माध्यम से देश भर में प्रसारित किया गया है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से बुनियादी स्तर पर समय-समय पर नियमित अभियान चलाए जाते हैं। हाल ही में, 01.07.2025 से 31.10.2025 तक देश भर में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 4 महीने का "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" शुरू किया गया था। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए, बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर और यूएलबी स्तर पर शिविर आयोजित किए गए, जिससे निवासियों को योजना में नामांकन के लिए सूचना और सहायता तक सीधी पहुंच प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और भागीदारी में सुधार करना है, जिससे मौके पर नामांकन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में फासले को मिटाने में मदद मिल सके। **4** महीने की अभियान अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश में 12,602 शिविर आयोजित किए गए और क्रमशः कुरनूल, विजयनगरम और कडप्पा जिलों में 484, 777 और 557 शिविर आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश के इन जिलों में 16 जागरूकता शिविर आयोजित किए।

(ग) और(घ): सरकार ने कम आय वाले समूहों सहित सभी नागरिकों को किफायती बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताओं को नीचे दिया गया है:

i. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है। दिनांक 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत इसकी शुरुआत के बाद से संचयी नामांकन 15.97 करोड़ हो चुके हैं।
ii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता के मामले में 20 रुपये वार्षिक के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है। दिनांक 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएसबीवाई के अंतर्गत इसकी शुरुआत के बाद से संचयी नामांकन 36.62 करोड़ है।

iii. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत कुल 42.31 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए।

iv. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत तक सीमित है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकित किसानों के आवेदन 15.14 करोड़ हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए14.36 करोड़ आवेदनों से अधिक है।

*****